"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2008—अग्रहायण 7, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

क्रमांक-बी-1-5/2008/एक/4.—श्री निरंजन दास (रा. प्र. से., आर. आर.-89, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), आयुक्त, नगर निगम भिलाई की सेवायें तत्काल प्रभाव से, नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10656/3 (बी)/03/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 03).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मनीष कुमार दुबे, आत्मज श्री केशव प्रसाद दुबे को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10658/3 (बी)/21/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 21).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शैलेष शर्मा, आत्मज श्री जनार्दन शर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10660/3 (बी)/13/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 13).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती विभा पाण्डेय, पति-श्री विनय कुमार पाण्डेय को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10662/3 (बी)/29/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 29).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अभिषेक शर्मा, आत्मज-श्री राधेश्याम शर्मा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10664/3 (बी)/19/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 19).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. दीपा कटारे, आत्मजा-श्री नरेश कुमार कटारे को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10666/3 (बी)/26/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 26).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सांतनु कुमार देशलहरे, आत्मज श्री चमरू राम देशलहरे को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10668/3 (बी)/60/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 60).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुमारी अंजू गुप्ता, आत्मजा स्व. श्री नारायण प्रसाद गुप्ता को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10670/3 (बी)/02/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 02).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. राधिका सैनी, आत्मजा श्री रंजीत सैनी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10672/3 (बी)/05/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 05).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री उमेश कुमार चौहान, आत्मज श्री यू. आर. चौहान को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10674/3 (बी)/06/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 06).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुमारी ज्योति अग्रवाल, आत्मजा-श्री रमेश कुमार अग्रवाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10676/3 (बी)/15/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 15).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती किरण थवाईत, पति-श्री रमेश कुमार थवाईत को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2008

फा. क्र. 10678/3 (बी)/04/2008/21-ब/(मेरिट क्र. 04).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र चौहान, आत्मज-श्री स्व. श्रीनिवास सिंह ठाकुर को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2008

क्रमांक/5873/बी-8/11-1/2008-09/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/01/2008-क्रेडिट-II (भाग-II), दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड के माध्यम से मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी 2008-09 में गेहूं, चना एवं तिवड़ा फसल के अंतर्गत राज्य के 05 जिले के 13 विकासखण्डों में गेहूं एवं 15 विकासखण्डों में चना एवं तिवड़ा की फसल पर पायलेट आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है. यह योजना गैर ऋणी कृषकों (Non-Loanee Farmers) के लिये लागू किया जा रहा है.

गेहूं के अंतर्गत विकासखण्ड के नाम निम्नानुसार है :—

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड
1.	रायपुर	रायपुर, भाटापारा, राजिम, आरंग
2.	दुर्ग	दुर्ग, गुण्डरदेही, बालोद, धमधा
3.	कवर्धा (कबीरधाम)	कवर्धा, सहसपुर लोहारा
4.	राजनांदगांव	राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान

चना एवं तिवड़ा के अंतर्गत विकासखण्ड :—

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड
1.	रायपुर	रायपुर, भाटापारा, राजिम, आरंग
2.	दुर्ग	दुर्ग, गुण्डरदेही, बालोद, धमधा
3.	कवर्धा (कबीरधाम)	कवर्धा, सहसपुर लोहारा
4.	धमतरी	धमतरी, कुरूद
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड को देय कुल प्रीमियम राशि तथा कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि का जिलेवार, फसलवार संदर्भित मौसम केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है. इस योजना का क्रियान्वयन रबी 2008-09 में निम्नानुसार किया जाएगा.

1. संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार गैर ऋणी कृषक भी इस योजना में सम्मिलित हो सकेंगे.

2. गैर ऋणी कृषकों की फसलों का मौसम बीमा आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड द्वारा किया जा सकेगा.

3. गैर ऋणी कृषकों के द्वारा घोषित बीमित क्षेत्रफल के अनुसार बीमा राशि प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित की जाएगी.

4. फसलवार जोखिम आवरण एवं बीमा अवधि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाएगा.

5. योजना का प्रचालन चयनित अधिसूचित संदर्भ इकाई क्षेत्रों में क्षेत्र के आधार पर (Area Approach) के आधार पर होगा अर्थात् जोखिम स्वीकार करने, मुआवजे का आंकलन करने तथा दर्शाए गए मौसम संबंधित प्रमाणों का उपयोग करने के लिये संदर्भ इकाई क्षेत्र का आधार माना जाएगा. बीमा आवरण एवं मुआवजे के आंकलन से संबंधित शर्तें अधिसूचित संदर्भ इकाई क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले सभी बीमित कृषकों पर समान रूप से लागू होगी.

6. वर्षा के लिये 25 किलोमीटर परिधि एवं अन्य मौसम मापदण्ड जैसे तापमान, आर्द्रता आदि के लिये 100 किलोमीटर परिधि का संदर्भित इकाई क्षेत्र माना जाएगा.

7. मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों का खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के बीमा के लिए देय प्रीमियम राशि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में देय प्रीमियम के समान दर से वहन करना होगा अर्थात् कृषकों द्वारा गेहूं के लिये बीमित राशि का 15 प्रतिशत एवं चना, तिवड़ा फसलों के लिए बीमित राशि का 20 प्रतिशत प्रीमियम दर होगा. बीमांकिक (Actuarial) प्रीमियम के पूर्ण भुगतान हेतु शेष राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50: 50 के अनुपात में वहन की जाएगी.

8. भारत सरकार द्वारा जारी मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों को आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड द्वारा शत-प्रतिशत पालन किया जाए. यदि किन्हीं कारणवश भारत सरकार से योजना की स्वीकृति नहीं करने अथवा अनुदान जारी नहीं करने का निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान जारी नहीं किया जाएगा व योजना के समुचित संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड का होगा.

9. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रीमियम में अपनी हिस्सा भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी की जाएगी.

10. सभी प्रकार के दावों का भुगतान आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड द्वारा वहन किया जाएगा.

11. मुआवजे की गणना परिशिष्ट-1 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र/फसल के औसत तापमान में वृद्धि, बेमौसम की बरसात एवं तापमान के कारण बीमित फसल में बीमारी होने के कारण फसलों में होने वाले नुकसान के आंकलन के आधार पर पाक्षिक की जावेगी. जोखिम आवरण मौसम आंकड़े आदि का विस्तृत विवरण कृषि कार्यालय एवं आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा.

12. मौसम बीमा से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का संकलन आधुनिक स्वचलित मौसम केन्द्रों एवं अन्य स्वीकार्य मौसम केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकेगा. संदर्भित मौसम केन्द्रों को नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस् लिमिटेड (NCMSL) अथवा अन्य किसी भी सक्षम एजेंसी द्वारा स्थापित करवाने व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करवाने का समस्त उत्तरदायित्व आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड का होगा.

13. दावा वितरण दावों का भुगतान आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड द्वारा बीमा अवधि के खत्म होने के अधिकतम 45 दिवस के भीतर किया जाएगा. प्रयास यह किया जाए कि कम से कम समय में दावों का भुगतान किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Annex.1

Crop	Risk	District	Policy Period	Strike	Exit	SI (in Rs)	Proposal Premium in Rs (Inc ST)
Gram, Tiwda	Rainfall	Kawardha	1-Nov-2008 to 31-March-2009	55 mm	205 mm	2500	225
		Raipur	1-Nov-2008 to 31-March-2009	75 mm	225 mm	2500	225
		Dhamtari	1-Nov-2008 to 31-March-2009	55 mm	205 mm	2500	225
		Rajnandgaon	1-Nov-2008 to 31-March-2009	110 mm	310 mm	2500	225
		Durg	1-Nov-2008 to 31-March-2009	55 mm	205 mm	2500	225
Gram, Tiwda	Tmax	Raipur	1-Feb-2009 to 31-Mar-2009	2.5 Units	12.5 Units	2500	225
		Kawardha	1-Feb-2009 to 31-Mar-2009	10 Units	30 Units	2500	225
		Rajnandgaon	1-Feb-2009 to 31-Mar-2009	5 Units	15 Units	2500	225
		Durg	1-Feb-2009 to 31-Mar-2009	10 Units	30 Units	2500	225
Wheat	Tmax	Rajnandgaon	1-Jan-2008 to 31-March-2009	6 Units	16 Units	3750	337
		Durg	1-Jan-2008 to 31-March-2009	11 Units	31 Units	3750	337
		Kawardha	1-Jan-2008 to 31 March-2010	11 Units	31 Units	3750	337
		Raipur	1-Jan-2008 to 31-March-2009	4 Units	14 Units	3750	337

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2008

विषय :- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी- 2008-09 मौसम में कार्यान्वित करने बाबत.

क्रमांक/5881/एफ-8/4/2008-09/रबी/14-2.—भारत सरकार का कृषि विभाग के पत्रांक 13011/15/99/क्रेडिट-II दिनांक 26 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004-Credit II दिनांक 29-09-2008 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सहर्ष सूचित करता है कि रबी 2008-09 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यान्वित की जाएगी.

निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है.

1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

अधिसूचित क्षेत्र

सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र तहसील होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अधिसूचित फसलों के लिये ली गयी ऋण राशि रबी 2008-09 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2008 होगी.

जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

संबंधित बैंकों का नोडल शाखा दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, को प्रेषित करेंगे.

समय-सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा पत्र स्वीकार किए जाने की समय-सीमा
अक्टूबर, 2008	30 नवम्बर 2008
नवम्बर, 2008	31 दिसंबर 2008
दिसम्बर, 2008	31 जनवरी, 2009
जनवरी, 2009	28 फरवरी, 2009
फरवरी, 2009	31 मार्च, 2009
मार्च, 2009	30 अप्रैल, 2009 (मौसम की अंतिम तिथि)

शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2009

अधिसूचित फसलों का क्षतिपूर्ति स्तर एवं प्रीमियम दर निम्नानुसार होंगे—

क्रमांक (1)	फसल (2)	क्षतिपूर्ति स्तर (3)	सामान्य प्रीमियम दर (4)	वास्तविक प्रीमियम दर (5)
1.	गेहूं असिंचित	80%	1.50%	6.45%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	गेहूं सिंचित	80%	1.50%	4.65%
3.	चना	80%	2.00%	6.65%
4.	राई-सरसों	60%	2.00%	6.85%
5.	अलसी	60%	2.00%	7.85%
6.	आलु	60%	लागू नहीं	9.65%

ऋणी किसान के लिये बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और 150% औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिये वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिये बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150% औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

प्रीमियम में अनुदान

ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 10% अनुदान की पात्रता होगी और लघु एवं सीमांत किसान के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 90% राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिये मांग विकर्ष एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रायपुर को भेजना होगा.

बैंक सर्विस चार्जेस

सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जायेगा.

दावा गणना

दावा की गणना आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावरी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत रबी 2008-09 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्र. (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	परिभाषित तहसीलें (4)
1.	गेहूं सिंचित	रायपुर	1. रायपुर
			2. तिल्दा
			3. भाठापारा
			4. आरंग
			5. सिमगा
			6. पलारी
		महासमुन्द	1. महामसुंद
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. धमधा

(1)	(2)	(3)	(4)
			4. बेमेतरा
			5. बेरला
			6. साजा
			7. गुण्डरदेही
			8. नवागढ़
		कबीरधाम	1. पंडरिया
			2. कवर्धा
		बस्तर	1. जगदलपुर
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. कोटा
			3. बिल्हा
			4. मस्तुरी
			5. तखतपुर
			6. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील भी सम्मिलित)
			7. मुंगेली
		जांजगीर–चांपा	1. जांजगीर
		रायगढ़	1. रायगढ़
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सुरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुण्ठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
		जशपुर	1. बगीचा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगांव
			3. डोंगरगढ़
			4. खैरागढ़
2.	गेहूं असिंचित	रायपुर	1. आरंग
			2. पलारी

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. डौंडीलोहारा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3. लोरमी
		सरगुजा	1. सूरजपुर
3.	चना	रायपुर	1. रायपुर
			2. आरंग
			3. तिल्दा
			4. अभनपुर
			5. सिमगा
			6. भाटापारा
			7. पलारी
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. बालौद
			4. धमधा
			5. बेमेतरा
			6. बेरला
			7. नवागढ़
			8. साजा
			9. गुरूर
			10. गुंडरदेही
			11. डौंडीलोहारा

(1)	(2)	(3)	(4)
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पंडरिया
		बिलासपुर	1. तखतपुर
			2. मुंगेली
			3. लोरमी
			4. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
		जशपुर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सूरजपुर
4.	अलसी	धमतरी	1. कुरूद
			2. धमतरी
			3. नगरी
		दुर्ग	1. पाटन
			2. गुंडरदेही
			3. धमधा
			4. बेमेतरा
			5. बेरला
			6. नवागढ़
			7. डौंडीलोहारा
			8. बालोद
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. छुईखदान
			4. खैरागढ़
			5. डोंगरगांव
			6. मोहला
			7. अंबागढ़ चौकी
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पंडरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
			2. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			3. कोटा
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. चांपा

(1)	(2)	(3)	(4)
		कोरबा	1. करतला
			2. पाली
		जशपुर	1. पत्थलगांव
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. राजपुर
			4. सुरजपुर
			5. प्रतापपुर
			6. पाल (रामानुजगंज)
			7. वाड्रफनगर
			8. लुण्ड्रा
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
5.	राई-सरसों	धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
		कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पंडरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोंडागांव
			3. नारायणपुर
		कांकेर	1. अंतागढ़
		दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड (मरवाही तहसील सम्मिलित)
			2. कोटा
		कोरबा	1. कटघोरा
		रायगढ़	1. लैलूंगा
		जशपुर	1. जशपुर
			2. बगीचा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. राजपुर
			3. लुण्ड्रा
			4. सीतापुर
			5. सूरजपुर
			6. प्रतापपुर
			7. पाल
			8. वाड्रफनगर
			9. सामरी

(1)	(2)	(3)	(4)
		कोरिया	1. **सोनहत**
			2. **मनेन्द्रगढ़**
			3. **भरतपुर**
			4. **बैकुण्ठपुर**
6.	आलू	सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सीतापुर
			3. सूरजपुर
		जशपुर	1. बगीचा

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 8-100/35/प. प्र. नी./2008.—राज्य के कृषकों को पशुधन विकास के माध्यम से आर्थिक उन्नति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से, प्रस्तावित नीति पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2008 में सुझाव एवं संशोधनों को शामिल करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ पशुधन विकास एवं प्रजनन नीति 2008" जारी करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

प्राक्कथन

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य अपने ग्रामीण एवं आदिवासी बाहुल्य समुदाय के सपनों को संजोते हुए आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते को अपनाने में निरंतर प्रयासरत है.

प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है और मध्यवर्तीय समतल क्षेत्र अपनी उत्पादकता के कारण "धान का कटोरा" कहलाता है. राज्य कृषि एवं कृषि आधारित व्यवस्था में विविधता एवं परिवर्तन का सपना देखता है जो कि राज्य के समानांतर विकास के लिए आवश्यक है.

राज्य शासन अपने "नवगठित राज्य" की स्थिति का लाभ उठाने के लिए कटिबद्ध है और "विकास के लिए सुशासन" के सिद्धान्त पर प्रतिबद्ध है.

इस अनुपम विकास की परिस्थिति का लाभ उठाते हुए राज्य इस नीति द्वारा पशुधन एवं ग्रामीणों की आजीविका के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयासरत है.

यह नीति राज्य के प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों एवं वास्तविकताओं के विवेचनात्मक विश्लेषण द्वारा पशुपालन क्षेत्र की संभावनाओं और क्षमताओं का आंकलन करती है एवं सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों और समस्त पशु प्रजातियों के विकास का स्वप्न देखती है. इस नीति का विकास पशुपालन विभाग द्वारा दो वर्ष (2005-2007) के अंतराल में "कालपी" स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एण्ड कोओपरेशन एण्ड इंटरकोओपरेशन, सेन्टर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट (कार्ड), नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकानोमिक्स एण्ड पोलिसी रिसर्च के सहयोग से किया गया है.

शब्दावली

NPCBB	:	राष्ट्रीय गौ–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना.
ASCAD	:	पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु केन्द्र से राज्य को सहायता
JK	:	जे.के. ट्रस्ट
MIS	:	सूचना प्रबंधन प्रणाली
HID Cell	:	मानव संस्थागत विकास इकाई
NDDB	:	राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड
CSLDA	:	छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण.
DRDA	:	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
NGO	:	गैर सरकारी संस्था.
AHD	:	पशु पालन विभाग.
SHG	:	स्व सहायता समूह.
DFID	:	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यू.के.)
NABARD	:	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
WTO	:	विश्व व्यापार संगठन
KVK	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
KGK	:	कृषि ज्ञान केन्द्र
ATMA	:	कृषि तकनीक एवं प्रबंधन अभिकरण
MANAGE	:	राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन एवं विस्तार संस्थान
VLW	:	ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
AVFO	:	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
CPR	:	सामुदायिक संपदा संसाधन
LN2	:	तरल नत्रजन
APC	:	कृषि उत्पादन आयुक्त
GOI	:	भारत सरकार
FMD	:	मुंह एवं पैरों की बीमारी (खुरा चपका रोग)
HS	:	हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया (गलघोंटू रोग)
BQ	:	ब्लैक क्वार्टर (एक–टंगिया रोग)

छत्तीसगढ़ पशुधन विकास नीति

1. **संदर्भ:**

भारतीय संविधान के नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन् 2000 को हुआ। राज्य शासन सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर चंहुमुखी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण[1] अंचलों में निवास करती है जिनकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियों पर निर्भर है। अतः राज्य की प्राथमिकता कृषि एवं ग्रामीण विकास है।

छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अल्प समय अवधि में अर्थव्यवस्था[2] में 8 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हुए *(1993–94 मूल्यों के आधार पर)* लाखों गरीब परिवारों को लाभान्वित किया है। गरीबी रेखा के नीचे[3] रहने वाले परिवारों का प्रतिशत वर्ष 1999–2000 में 45 से तीव्र गति से कम होते हुये वर्ष 2004–05 में 41 रह गया है। राज्य की कुल जनसंख्या में 79 प्रतिशत ग्रामीण गरीब है।

कृषि (खाद्यान्न, पशुधन, मत्स्य, वानिकी और खनिज शामिल हैं) राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की मुख्य आजीविका है। कृषि क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई का योगदान करते हुए लगभग 70 प्रतिशत श्रमिकों[4] को रोजगार देता है। वर्ष 2000–01 से 2004–05 के मध्य इस क्षेत्र में 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। राज्य के 35 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में कृषि की जाती है जो कि अधिकांशतः वर्षा आधारित है। धान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है जो कि 70 प्रतिशत क्षेत्र में बोयी जाती है परंतु उत्पादन संतोषजनक नहीं है। लघु कृषक,(< 2 हेक्टेयर) जो कि कुल कृषको के 75 प्रतिशत[5] हैं, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राज्य में औसत जोत का आकार 1.4 हेक्टयर है जो कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण तीव्रता से कम हो रहा है एवं इसके और कम होने की आशंका है। इस परिस्थिति में मात्र कृषि से ग्रामीण आजीविका सुचारू रूप से चल पाना निश्चित ही संभव नहीं है।

ग्रामीण परिवेश में पशुपालन आय अर्जन एवं रोजगार का मुख्य साधन हो सकता है। कृषि उत्पादन की व्यापक अस्थिरता की स्थिति में पशुपालन संभावित क्षतिपूर्ति करने की क्षमता प्रदान करता है। पशुपालन ऐसी गतिविधि है जो निश्चित समय अवधि में निरंतर आय प्रदान करती है जो कि दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक है। मुर्गी, बकरी, भेड एवं शूकर आदि के पालन में निम्न लाभ हैं– बहुप्रसवता की दर के कारण कम समय में अधिक पशुधन, कम भूमि का उपयोग, अल्प निवेश, रख रखाव में कम खर्च, इत्यादि। गरीबों के लिए संसाधन–प्रदत्ता के कारण यह स्थिति उपयुक्त है। गौ और भैंस पालन खाद प्राप्ति एवं कृषि कार्य करने हेतु उपयुक्त हैं जो कि कृषि उत्पादकता एवं पर्यावरण के लिए महत्तवपूर्ण हैं।

---

[1] भारत की जनगणना, 2001

[2] सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर और कृषि सकल घरेलू उत्पाद सांख्यिकीय और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (http://mospi.nic.in) पर उपलब्ध आंकडो पर आधारित है

[3] वर्ष 2004–2005 में गरीबी आंकलन / अनुमान, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, मार्च 2007, गरीबी का आंकलन एक समान समयावधि पर आधारित है

[4] क्षेत्र, उत्पादन पशुधन जनसंख्या और श्रमिक संबंधित जानकारी वेबसाइट (http://chhattisgarh.nic.in) से ली गई है

[5] भूमि एवं पशुधन स्वामित्व संबंधित जानकारी नेशनल सैंपल सर्वे संस्था (एन.एस.एस.ओ.) के प्रतिवेदन कमांक 492, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से ली गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन में संपन्न है। राज्य में वर्ष 2005–06 में 81.5 लाख गौवंश, 18.9 लाख भैस, 21.2 लाख बकरी, 2.1 लाख भेड, 5.1 लाख शूकर और 71.7 लाख मुर्गियां पाई गई। कृषि क्षेत्र के कुल उत्पाद (मूल्य) में पशुपालन का योगदान 23 प्रतिशत है। अधिकांशतः ग्रामीण परिवारों के पास पशुधन उपलब्ध है। परिवारों में पशुधन की उपलब्धता का वितरण, भूमि के वितरण के अपेक्षाकृत अधिक समानता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पशुपालन की संभावनाऐं, कृषि की तुलना में अधिक हैं (बॉक्स 1), हालांकि पशुधन की उत्पादकता कम है।

राज्य में गाय और भैंस के दुग्ध की उत्पादकता, देश की औसत उत्पादकता से लगभग आधी[6] है। उत्पादकता में कमी के मुख्य कारण हैं– उन्नत तकनीकों का अभाव, चारे की अनुपलब्धता, और स्वास्थ्य–चिकित्सा सुविधाओं की कमी। राज्य में संकर प्रजाति की गाय मात्र 3 प्रतिशत हैं जबकि देश में यह औसत 22 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य में 36000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक उपलब्ध है जबकि देश में यह औसत 8000 पशु प्रति पशु चिकित्सक से भी कम है।

तदापि उचित तकनीक तथा संस्थागत और नीतिगत सहयोग द्वारा पशुपालन क्षेत्र में विकास की अत्यधिक सभावनाएं हैं एवं पशुपालन गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। राज्य में वर्तमान तीव्र आर्थिक विकास के कारण उपभोक्ता का रूझान निरंतर खाद्य उत्पाद से पशु उत्पाद की ओर बढ़ रहा हैं। फलतः इस क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पाद में वृद्धि की अनेक संभावनायें हैं।

बाक्स –1 : "पशुधन द्वारा गरीबी उन्मूलन "

निर्धन के लिये पशु पालन द्वारा आय बढ़ाने की असीम संभावनायें हैं। स्थिर एवं निश्चित आय तथा शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण उच्च स्तरीय भोज्य पदार्थों जैसे– दूध, फल, सब्जियां, अण्डे, मांस एवं मछली की मांग बाजार में बढ़ी है। देश में सन् 1983 से 1999 के मध्य प्रति व्यक्ति दूध का उपयोग 70 प्रतिशत बढ़ा है, मांस का उपयोग 45 प्रतिशत बढ़ा है जबकि अनाज का उपभोग 12 प्रतिशत कम हुआ है। सन् 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति दूध एवं मांस का उपभोग राष्ट्रीय औसत का क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत[7] था, जिसका प्रमुख कारण स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों की अनुपलब्धता थी। तथापि निरंतर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या एवं आय वृद्धि के कारण पशुधन विकास की संभावनायें भी प्रदेश में बढ़ती जा रही है।

लघु कृषकों की भागीदारी पशुपालन क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि उनके पास 88 प्रतिशत कुक्कुट, 67 प्रतिशत शूकर एवं भेड–बकरी, 59 प्रतिशत गौवंश और 57 प्रतिशत भैंसे हैं। पशुधन उत्पादन की वृद्धि बाजार की मांग पर आधारित है। निर्धनों के लिए पशुपालन एक उपयुक्त अवसर है, जहां वे बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने गरीबी उन्मूलन एवं कृषि उत्पादकता में पशुपालन के महत्व को समझते हुए "कालपी" और "कार्ड" के सहयोग से विभिन्न अध्ययन करवाए। इन अध्ययनों का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में समानता, स्थायित्व और क्षमता वर्धन के लिए नीतिगत सुझाव देते हुए विकास की संभावनाओं एवं कियान्वयन में अविरूद्धताओं का विश्लेषण करना है। इस पशुपालन नीति निर्माण के मुख्य आधार – संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन, नीति निर्धारकों के साथ सामूहिक बैठकें, पशुपालन क्षेत्र के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायियों के सुझाव, कृषक और समाज सेवी संस्थाओं के अनुभव, जनसुनवाई, कृषकों के साथ पी.आ.ए. विजन निर्माण एवं विभिन्न कार्यशालाओं के निष्कर्ष हैं।

---

[6] संकरण, पशु स्वास्थ्य सेवाऐं और उत्पादन की जानकारी सामान्य पशुपालन सांख्यिकीय, 2006, पशुपालन विभाग, दुग्ध एवं मत्स्य संघ, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से ली गई है

[7] एन.एस.एस.ओ. द्वारा उपलब्ध उपभोक्ता व्यय के आंकडे इलेक्ट्रानिक्स डाटाबेस से लिये गये है

2. पशुधन नीति के उद्देश्यः

प्रस्तावित नीति में मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर पशुधन विकास की परिकल्पना की गयी है। इस नीति में निर्धन, ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विकास के साथ पशुधन विकास को जोड़ा गया है ताकि एक स्थिर आर्थिक विकास की दर प्राप्त की जा सके। पशुधन नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

2.1 **पशुधन विकास के लिये विपणन, सेवा पहुंच प्रणाली, उत्पाद प्रसंस्करण इत्यादि के विकास के साथ ऐसी प्रकिया का निर्माण किया जाये जो स्थायी हो तथा रोजगार उपलब्ध करवाए। सामान्य जन को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दे एवं कृषि उत्पाद विफलता की क्षति से उन्मुक्त करे।**

2.2 **ग्रामीण परिवारों के अविकसित वर्ग, विशेषकर साधनहीन एवं महिलाऐं, को पशुपालन द्वारा सशक्त करना, ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता से उन्मुक्त हों।**

2.3 **उपयुक्त तकनीक तथा संस्थागत एवं नीतिगत हस्तक्षेप (प्रबंधन) द्वारा पशुधन का आधुनिकीकरण इस प्रकार हो कि पर्यावरण पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े तथा जनभागीदारी के द्वारा स्वदेशी पशुधन एवं कुक्कुट का विकास एवं संरक्षण किया जा सके।**

2.4 **आधुनिकीकरण की प्रकिया सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोकाचार के अनुरूप हो।**

2.5 **पशुधन का विकास वर्तमान में पशुधन की क्षमताओं एवं विकास की संभावनओं के आधार पर एवं कृषि जलवायु क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाये।**

3. पशुधन नीति का स्वरूपः

छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन उत्पादन अधिकतर लघु कृषकों एवं पशुपालन पर निर्भर परिवारों के प्रक्षेत्र में है एवं यह केवल जीविकामूलक आवश्यकताऐं ही पूर्ण करता है। प्रस्तावित नीति गरीबोन्मुख होने के साथ–साथ पशु उत्पादों की बढ़ती मांग व आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्रों के विकास के प्रति भी कटिबद्ध है। इस नीति के माध्यम से शासकीय हस्तक्षेप के लिए निम्नांकित मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है:–

3.1 **ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रो के परिवारों के लिए पशुपालन को लाभकारी जीविकोपार्जन के साधन के रूप में विकसित किया जाए ताकि आय वृद्धि, संतुलित पोषण एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सकें।**

छोटे कृषक/पशुपालक नई तकनीकों को ग्रहण करने में परिपूर्ण नहीं होते क्योंकि उनकी जीवन शैली कम से कम जोखिम के साथ जीवन–यापन पर आधारित है। पशु स्वास्थ्य, विस्तार, वित्त पोषण एवं विपणन सुविधा तक पहुंच जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके इस स्थिति में सुधार लाना संभव है।

3.1.1 अतः कम पशुधारी, महिला एवं पुरूष वर्ग के कृषकों को छोटे समूहों में संयोजित एवं सशक्त कर बाजार से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर गरीबी दूर करने के लिए निम्नांकित मुद्दों पर ध्यान देना होगाः–

- सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सीमान्त कृषक एवं अवस्थांतर लघुपशुधारियों हेतु आवश्यक सेवा पहुंच प्रणाली का पुनर्गठन

- पशुपालन क्षेत्र में व्यापक अनिश्चितता दूर करने के लिए जोखिम राहत के प्रयासों को प्राथमिकता
- निर्धन महिला एवं पुरूष किसानों को नई तकनीकों के विकल्प की सुविधा प्रदान कर, चयन एवं प्रशिक्षण द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए नवीन तकनीको के अभिग्रहण में जोखिम को कम किया जाए।

3.1.2 ज़मीनी स्तर पर कार्यरत सामुदायिक समूहों जैसे कि स्व–सहायता समूह, सहकारी उत्पादक समितियॉं, प्रजनन समूह, ग्राम समितियॉं आदि को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए। इन इकाईयों को तकनीकी ज्ञान, विस्तार सहयोग एवं कौशल उन्नयन द्वारा सुदृढ करते हुए लघुपशुधारियों और पशुपालन विभाग के बीच महत्तवपूर्ण कड़ी का स्वरूप दिया जा सकता है।

3.1.3 विशिष्ट अध्ययन एवं स्थितिगत विश्लेषण आधारित अनुभवों से उद्घृत होता है कि लघु कृषकों एवं पशुधारको की आर्थिक प्रगति के लिये नीतिगत वातावरण एवं कियाशील संस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि पशुधारित किसान स्वप्रेरणा से शासन की सुविधाओं का स्व–प्रबंधन कर सकें।

3.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं पुर्नगठित करते हुए पशु उत्पादकों की पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढाई जाए एवं इसमें निजी क्षेत्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

पशुओं की रोगों से सुरक्षा हेतु उच्चतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जरूरी है। राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगो के लिए उपलब्ध हैं लेकिन उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा तथा वे अविकसित हैं, जिसके लिए अधोसंरचनाओं एवं निष्पादन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

3.2.1 सामान्य बीमारियों की क्षति क्षमता, पुनरावृत्ति की संभावना और गरीबों के लिए इसके महत्व के अनुसार प्राथमिकीकरण करते हुए रोग प्रबंधन कार्यकम चलाए जाऐं।

3.2.2 पशु स्वास्थ्य नीति में ज़ोखिम एवं हानि–लाभ को ध्यान में रखते हुए अल्प व्यय उपचार एवं बचाव के उपाय जैसे कि परंपरागत पशु चिकित्सा पद्धति को बढावा दिया जाए। संकामक रोगों एवं बाह्य एवं अंतः परजीवी नियंत्रण एवं निरोधक टीकाकरण पर जोर दिया जाए।

3.2.3 गौमूत्र चिकित्सा एवं उपलब्ध भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के आवश्यकतानुसार उपयोग पर शोध द्वारा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाए।

3.2.4 रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन, पशु से मानव में संचरण होने वाले रोगों का नियंत्रण तथा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली जैसी निरंतर चलने वाली सेवाओं को और अधिक सुदृढ किया जाए।

3.2.5 संकामक एवं पशु से मानव में संचरण होने वाले रोग जो कि अत्यधिक क्षतिवर्धक हैं, उनके लिए विशेष रोग मुक्त क्षेत्र विकसित किए जाऐं।

3.2.6 निर्धन कृषकों के द्वारा पोषित पशुधन के लिए रोग नियंत्रण के उपाय किये जायें।

3.2.7 रोग निरीक्षण, अनुश्रवण एवं सूचना तंत्र को प्रत्येक स्तर पर आरंभ एवं सुदृढ किया जाए।

3.2.8 निजी लाभ देने वाली गतिविधियों के लिए सार्वजनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु शुल्क लिये जाने की व्यवस्था हो, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता सुधार में किया जाये।

3.2.9 सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं का निजीकरण किया जाये ताकि निजी पशु स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु उचित वातावरण का निर्माण हो।

3.2.10 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ग्राम स्तर पर सेवाओं का प्रभावी निष्पादन एवं विस्तार हो ।

3.2.11 कम मूल्य के टीके, बहु रोग टीके एवं उच्च गुणवत्ता युक्त जीव–विज्ञान संबंधी दवाईयों के निर्माण के लिये शासन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करे।

3.2.12 दवा निर्माता से ग्रामीण पशुपालक तक टीकों के व्यवस्थित वितरण के लिये एक प्रभावी 'शीत चेन" (Cold Chain) का निर्माण हो।

3.2.13 प्रशिक्षित ग्रामीण निजी–पशु चिकित्सा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग विकसित किया जाए जो पशु–धारकों को रोग नियंत्रण सेवा एवं प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे अंधविश्वास से हटकर रोग की पहचान, फैलने के कारण एवं रोग–निवारण के उपाय कर सकें।

3.2.14 पशु चिकित्सा सुविधाओं के प्रभावी निष्पादन के लिये आवश्यक वैधानिक एवं नियामक उपायों की उचित व्याख्या करते हुए 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम" को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

3.2.15 नये एवं संक्रामक रोगों के ज्ञात होते ही उन पर नियंत्रण के लिये एक आपात्कालीन अनुक्रिया तंत्र का गठन किया जाये।

3.2.16 शहरी क्षेत्र में निराश्रित पशुओं से उत्पन्न अवरोध कम करने हेतु नियंत्रण तंत्र लागू किया जाए।

3.2.17 पालतू पशुओं हेतु निजी पशु सेवाओं को बढावा दिया जाए।

3.3 **गुणवत्तायुक्त पशु प्रजनन सुविधाओं तक किसानों की पहुंच को प्रोत्साहित किया जाए। उपयुक्त प्रजनन नीति अनुसार पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उचित प्रजनन प्रणाली लागू करना एवं "कृषि–जलवायु क्षेत्र" अनुसार उपलब्ध समस्त उत्पादन प्रणाली में विशिष्ट तकनीक तथा पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण का एकीकरण करते हुए योजना बनाई जाये ताकि अच्छी नस्ल के पशुओं का उत्पादन हो।**

राज्य द्वारा आय–प्रतिआय संरचना पर आधारित उपयुक्त आनुवांशिकी एवं प्रजनन योजना के कियान्वयन द्वारा गुणवत्तायुक्त पशु उत्पाद जैसे–दूध, मांस, अंडे, ऊन इत्यादि, एवं भार–वहन क्षमता की उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

3.3.1 'राष्ट्रीय पशु नीति' का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की आवश्यकताओं, बाजार एवं कृषि जलवायु क्षेत्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये गौ एवं भैस वंश के अनुवांशिकी सुधार हेतु प्रजनन योजना बनाई जाए। इसमें सम्मिलित हो–

- चयन प्रकिया द्वारा अच्छी नस्ल के पशुओं का अनुवांशिकी सुधार हो।
- कम उत्पाद क्षमता वाले स्थानीय पशुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये उच्च स्वदेशी नस्ल से उन्नयन या संकरण किया जाये।

3.3.2 राज्य में साहिवाल, गिर एवं रेड सिन्धी नस्ल के उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता के नर एवं मादा पशुओं का जर्मप्लाज्म पूल तैयार किया जाए ताकि श्रेष्ठ गाय एवं सांड तैयार किए जा सकें ।

3.3.3 छत्तीसगढ़ के पशुधन एवं कुक्कुट अनुवंश संसाधन का सर्वेक्षण किया जाये तथा भारत शासन के दिशा–निर्देश के आधार पर कृषको की आवश्यकता, बाजार एवं कृषि जलवायु को ध्यान में रखकर कदम उठाये जाएं।

3.3.4 कृत्रिम गर्भाधान के लिए अधोसंरचना को सुदृढ करते हुए विस्तार किया जाए। राज्य के गौ एवं भैस वंश के प्रजनन हेतु हिमीकृत वीर्य तकनीक का प्रयोग कर क्षमता एवं प्रभाव बढाया जाए।

3.3.5 दूरस्थ अंचलों में उच्चकोटि के सांडो द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान सुविधा प्रदान की जाए।

3.3.6 नवीन तकनीकों द्वारा गौ एवं भैंस वंश के त्वरित अनुवांशिकी सुधार की योजना बनाई जाए।

3.3.7 नस्ल सुधार कार्यकम हेतु शुरूआत में अधिक उत्पादन देने वाली नस्ल को उन क्षेत्रों में बढावा दिया जाए जो चारा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं से संपन्न हो। यथाकम अन्य क्षेत्रों में भी इस कार्यकम का विस्तार किया जाए परंतु इसके लिए आवश्यक आधारभूत सेवाओं का प्रायः विकास सुनिश्चित किया जाए।

3.3.8 चयनात्मक प्रजनन द्वारा नस्ल सुधार करते हुए भेड एवं बकरी अनुवांशिकी संसाधानों का उचित दोहन और संरक्षण किया जाए। उच्चस्तरीय प्रजनन हेतु बकरे के वीर्य का प्रयोग करते हुए बकरी में कृत्रिम गर्भाधान का निष्पादन किया जाए।

3.3.9 उपयुक्त चारे एवं बेहतर प्रबंधन वाले क्षेत्रों में शूकर की स्थानीय नस्ल को विदेशी नस्ल के साथ संकरण को प्रोत्साहन दिया जाए एवं चयनित विशेषताओं वाले देशी शूकर की पहचान करते हुए गहन चयन प्रकिया अपनाते हुए स्थानीय प्रजाति का विकास किया जाए। उपयुक्त नस्ल के चयन हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.3.10 जिला स्तर पर पशुधन की सभी प्रजातियों के उत्पादन एवं पूर्ति के लिए प्रजनन हेतु अच्छी नस्लों के पशु तथा प्रजनन सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए स्वशासी संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार किया जाए।

3.3.11 बछड़ों की मृत्यु दर को कम करने के लिये किसानों को आरंभ में प्रबंधन सहयोग दिया जाये और जब प्रजनन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगे तब प्रजनन की आवश्यकता एवं सेवाओं की मूल्य–वापसी सुविधा का विकास किया जाए।

3.3.12 प्रजनन आवश्यकताओं अनुसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.3.13 उन्नतिशील कृषकों को भेड, बकरी, शूकर और मुर्गीपालन के प्रजनन के लिए विशिष्ट प्रजनकों के रूप में व्यावसायिकरण के लिए प्रोत्साहन दें।

3.3.14 **"विशिष्ट योजनाओं द्वारा पशुधन पुर्नसंग्रहण"** को बढ़ावा दिया जाये ताकि लघु पशुधारी परिवारों के पास बेहतर प्रजनन व्यवस्था हो और उन्हें संगठित बाजार से जुडी सामूहिक गतिविधियां उपलब्ध हों।

3.3.15 प्रजनन आवश्यकताओं के संरक्षण, रखरखाव एवं वितरण हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को पारदर्शिता अपनाते हुए प्रोत्साहित किया जाए।

3.3.16 अनुवांशिकी संरक्षण और उन्नत नस्ल कार्यक्रम के बेहतर समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि विभिन्न प्रजातियों में संतुलन बना रहे।

3.4 पशु उत्पादों (यथा दूध, अंडा, मांस आदि) की मांग पर आधारित संतुलित विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि पशुपालन क्षेत्र में सुधार हो। इन सुधारों को इस तरह लागू किया जाए ताकि पशुओं की प्रत्येक प्रजाति को उसकी वृद्धि क्षमता और तीव्रता से विकसित होने का समानुपातिक अवसर प्राप्त हो।

पशुपालन विकास के क्षेत्र में देश में ही नहीं छत्तीसगढ राज्य में भी झुकाव गौवंश एवं भैस पालन की ओर है। शासन के प्रारंभिक सहयोग के पश्चात् व्यवसायिक कुक्कुट पालन में निजी क्षेत्रों ने अच्छा विकास किया है। परंतु भविष्य में विकास के लिये इस क्षेत्र में नीति निर्धारण की आवश्यकता है।

इस नीति के आमुख में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के कृषकों द्वारा भेड, बकरी एवं शूकर पालन बहुतायत से किया जाता है एवं यह ग्रामीण आय वृद्धि एवं गरीबी कम करने का सर्वोत्तम विकल्प है। अतः स्थाई खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा क्षेत्र में नवीन हस्तक्षेप द्वारा बडे पशुओं को महत्तव देने के साथ – साथ लघु पशुओं यथा भेड, बकरी व शूकर, इत्यादि एवं कुक्कुट के पालन को प्राथमिकता दें।

3.4.1 बजट का आवंटन प्रजाति अनुसार, आजीविका पर पडने वाले प्रभाव, प्राप्त करने वाले समुदाय की लक्षित क्षेत्र में रूचि एवं अवसर पर आधारित हो।

3.4.2 शासकीय हस्तक्षेप द्वारा लघु पशुधारियों के विकास को प्रोत्साहन दे।

3.4.3 विभागीय हस्तक्षेप कृषको के कौशल उन्नयन, स्वावलंबन एवं उचित तकनीक पर केंद्रित हो।

3.4.4 निजी क्षेत्र का विकास एवं आधुनिकीकरण इस क्षेत्र की वर्तमान एवं अनुमानित मांग एवं बाजार की स्थिति के अनुसार किया जाए।

3.4.5 एकीकरण एवं समन्वय द्वारा समुचित प्रयास किये जाऐं कि छोटे कृषक व पशुपालक इन सेवाओं, तकनीको व उपलब्ध बाजार का लाभ प्राप्त कर सके।

3.5 पशुधन उत्पादकों की वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच बढाई जाए ताकि वे संस्थागत ऋण एवं बीमा सुविधा प्राप्त करते हुए पशुपालन क्षेत्र में अधिक निवेश कर सकें व आपदाओं का सामना कर सकें।

गरीबों को पशुधन क्रय, बाडा निर्माण, उपकरण क्रय एवं क्रियाशील पूंजी हेतु ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र में दीर्घावधि के कुल ऋणों में पशुपालन व कुक्कुट पालन क्षेत्र की भागीदारी मात्र 5.8 प्रतिशत है।

3.5.1 ऋण संस्थाओं को प्रेरित करें कि वे पशुधन हेतु कर्जा देने में पूर्वाग्रहों से बचें एवं पशुधन ऋण व्यवस्था में जमानत के प्रावधान को समाप्त करें।

3.5.2 ऋण संस्थानों को अपना कार्यक्षेत्र बढाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वें अल्प शुल्क के साथ पिछडे क्षेत्रों तक पहुंच सके जहां पशुधन कृषकों में ऋण की अधिक मांग है।

3.5.3 कृषि क्षेत्र में उपलब्ध फसल उत्पादन हेतु कम अवधि के ऋण व्यवस्था अनुसार ही पशुधन के लिए भी कम अवधि के ऋण व्यवस्था करने हेतु व्यवसायी संस्थानों को

उत्प्रेरित किया जाए। इसके लिए संस्थागत मंच पर विभागीय, प्रतिनिधित्व को बढावा दिया जाए।

3.5.4 स्व–सहायता समूह एवं किसान क्रेडिट–कार्ड जैसी योजनाऐं जिनमें ऋण प्राप्ति एवं ऋण वापसी की प्रकियाऐं लचीली है एवं पशुपालकों के लिए उपयुक्त हैं, का लाभ पशु पालन में लगे छोटे किसानों को दिलाने हेतु इन योजनाओं का विस्तार किया जाए।

3.5.5 ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको के विस्तार हेतु प्रयास हों ताकि कम शुल्क पर छोटे किसानों को संस्थागत् ऋण एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।

3.5.6 पशु बीमा को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि पशुधारी परिवार आकस्मिक आपदाओं एवं रोगों से होने वाले नुकसान से बच सकें।

3.5.7 समुदाय आधारित जोखिम नियंत्रण तंत्र को विकसित किया जाये जिसमें जन समुदाय, निजी क्षेत्र एवं पशुपालको का समावेश हो।

3.6 पशुधन उत्पाद की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। संस्थागत नीति द्वारा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए पशु उत्पाद के प्रसंस्करण एवं विपणन को सहकारी एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाए।

राज्य में पशुधन तथा पशुधन उत्पादन की विपणन व्यवस्था एवं सूचना प्रणाली अविकसित है जो कि व्यवसायिक पशुधन उत्पादन में बाधक है।

3.6.1 दुग्ध सहकारी समितियों एवं अनुबंध आधारित कृषि तंत्र में उत्पादन से विपणन तक संयोजन को बढ़ावा दिया जाए।

3.6.2 पशुपालन व पशुउत्पादों के उत्पादन पर आधारित सहकारी संस्थाओं का अछूते उत्पाद क्षेत्रों एवं प्रगुख शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार विकास किया जाए कि पशुपालक जीविकोपार्जन से व्यवसायिक उत्पादन की ओर बढ़ सके।

3.6.3 निष्क्रिय सहकारी समितियों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता से सक्रिय किया जाए।

3.6.4 सहकारी क्षेत्र में विकेंद्रीकरण व स्वायत्ता को प्रोत्साहन दिया जाए।

3.6.5 "कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम" में संशोधन कर भारत सरकार के "आदर्श विपणन अधिनियम" के अनुसार लागू किया जाए ताकि कृषि व्यवसाय एवं विपणन संस्थाए कृषि अनुबंध अंतर्गत उत्पादकों से सीधे कच्चा माल कय कर सकें।

3.6.6 पशुधन उत्पादकों एवं कुक्कुट उत्पादकों को प्रसंसकरण व उत्पादन हेतु अतिरिक्त सुविधायें जैसे– निश्चित विद्युत आपूर्ति, विक्रय शुल्क में छूट, लेवी, बाजार शुल्क एवं प्रवेश कर में छूट इत्यादि देना सुनिश्चित करें।

3.6.7 पशुधन उत्पादकों को जमीनी स्तर पर "उत्पादन संघ" बनाने हेतु प्रोत्साहित करें ताकि वें कृषि व्यवसाय/विपणन संस्था एवं सेवा संस्थाओं के समक्ष मोल–भाव करके लाभ उठा सकें तथा उत्पादन पूर्व एवं उत्पादन पश्चात् के कार्यों के निष्पादन में उनकी क्षमता वृद्धि करें।

3.6.8 भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं के लिये स्थानीय बाजार उपलब्ध हों जिनमें शेड, पीने का पानी, सफाई, पशु चिकित्सा, स्वच्छता एवं सुरक्षा आदि की सुविधायें उपलब्ध हों। बाजार शुल्क द्वारा प्राप्त राजस्व का उपयोग बाजार के लिये सुविधाओं के विस्तार में किया जाए।

3.6.9 बाजार सूचना प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि पशुधन उत्पादक सूचना प्रसार द्वारा बाजार की मांग, पूर्ति और मूल्यों के उतार–चढ़ाव से परिचित होकर सही समय पर निवेश करें।

3.6.10 पशुधन उद्योग के विकास के लिये अन्य मूलभूत सुविधाऐं जैसे–सड़क, भण्डारण इत्यादि का विकास होना चाहिये।

3.7 पर्यावरण एवं परिस्थिति की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए एवं उपयुक्त नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा पशुधन विकास का आधुनिकीकरण हो ताकि पशुधन एवं पर्यावरण के बीच एक गुणात्मक संवाद स्थापित किया जा सके।

3.7.1 पशुधन उत्पादकों को इतना जागरूक बनाया जाए ताकि वे पशुधन से पर्यावरण को होने वाले हानि एवं लाभ का संबंध समझ सकें।

3.7.2 विभिन्न कृषि जनित पारिस्थिकी की पशुधन वाहक क्षमता के आकलन के आधार पर पशुधन उत्पादन का विकास सुनिश्चित करें।

3.7.3 विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उर्वरा शक्ति का आंकलन करते हुए जैविक खाद (गोबर), जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट जैसे पर्यावरण मित्र पोषक पदार्थों के भूमि पर उपयोग को बढ़ावा दें ।

3.7.4 कम लागत के पशु से चलने वाले उपकरण एवं यंत्र उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि पशुओं की भारवाहक क्षमता का कृषि में इस्तेमाल बढे।

3.7.5 समुदाय आधारित संस्था एवं कृषको द्वारा विकसित जैविक खेती हेतु प्रोद्योगिकी पैकेज को बढावा दिया जाए।

3.7.6 पशु वर्ज्य पदार्थो के नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रो में सही रूप से व्यवस्थापन हेतु प्रभावी नियम बनाए जाए।

3.8 अविकसित क्षेत्रों में वंचित वर्ग, निर्धन एवं महिलाओं में गरीबी उन्मूलन हेतु पशुधन उत्पाद सहयोग–अनुपात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।

निर्धन कृषकों ,में उपयुक्त मार्गदर्शन, ज्ञान एवं सहयोग से अपनी आजीविकाओं में आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु क्षमता एवं शक्ति का सृजन किया जा सकता है। लघु पशु उत्पादकों को व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा एवं भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। इस परिस्थिति में केवल उत्पादन को प्राथमिकता ना देते हुए, एक उपयुक्त उत्पादन प्रणाली विकसित की जाए जो पूरे क्षेत्र की आजीविका को स्थायित्व प्रदान कर सके।

3.8.1 पशु उत्पादन के साधन एवं दक्ष आजीविका प्रणाली विकसित की जाये जो स्थानीय परिस्थितियों एवं गरीबों की संसाधन प्रदत्ता पर आधारित हो।

3.8.2 गरीब उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिये उनकी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी दक्षता को कौशल एवं ज्ञान द्वारा ठीक बडे व्यापारिक उत्पादकों की तरह विकसित किया जाए, ताकि अन्ततः उनकी उत्पाद क्षमता को बढ़ाकर गरीबी दूर की जा सके।

3.8.3 वंचित वर्गो एवं गरीबों के लिये विशेष ऋण सुविधा एवं बीमा योजना बनायी जाए।

3.8.4 सीमांत वर्गो (छोटे, लघु एवं सीमांत) को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, कि उत्पादक संघ गठित कर संगठित रहें।

3.8.5 सीमांत पशुपालक कृषकों को 'उत्पादक संघ' जैसी संस्थाओं के निर्माण हेतु सतत् प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकें। साथ ही उनकी मोल–भाव करने की क्षमता बढे।

3.8.6 ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि कृषि व्यवसाय में संलग्न संस्थायें (कृषि–अनुबंध संस्थाऐं) कच्चा माल खरीदी में छोटे उत्पादकों को नजरअंदाज न करें।

3.8.7 पशुधन उत्पादन एवं विपणन में, विशेषकर दुग्ध उत्पादन इकाईयों में महिलाओं की भागीदारी को निरंतर प्रोत्साहित किया जाऐं।

3.8.8 पशुधन उत्पादकों के लिये विकेन्द्रिकृत विस्तार एवं प्रशिक्षण इकाईयां तैयार कर जागरूकता बढ़ाने एवं तकनीकी हस्तांतरण द्वारा पशु उत्पाद बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाऐ।

3.8.9 राज्य में पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण विस्तार संस्थान बनाए जाऐं जो "सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्था" एवं विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।

3.8.10 शोध, विस्तार एवं कृषकों के बीच समन्वय मजबूत हो।

3.8.11 गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :–

3.8.11.1 निर्धनों द्वारा भेड़, बकरी, देशी शूकर, कुक्कुट एवं अन्य घरेलु पशुओं को पाला जाता है। अतः रोग प्रतिरोधी स्थानीय जातियों के पालन को बढ़ावा देना चाहिये।

– अनुवांशिकीय सुधार के लिए सरल प्रजनन तरीके अपनाए जाऐं।

– वह रोग जो घरेलु जानवरों को अधिक प्रभावित करते हैं जैसे–स्वाइन फीवर, सी.सी.पी.पी., रानीखेत रोग, कुक्कुट पालन में फॉउल पॉक्स एवं आंतरिक परजीवी रोग, से बचाव के उपाय किए जाऐं।

– अंतः–परजीवियों से बचाव के लिये कम मूल्य के कृमि–नाशकों का प्रयोग किया जाए।

– दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में प्राकृतिक गर्भाधान जैसे उपयुक्त प्रजनन तरीकों का प्रयोग किया जाए।

3.8.11.2 उन कृषि–पारिस्थिकी क्षेत्रों में, जहां निर्धन रहते हैं, पशु आधारित पोषण चक्र (कृषि–वानिकी, फसल चक्र, खाद–प्रबंधन) विकास के लिए अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है ।

– गोचर भूमि (सामुदायिक संसाधन) प्रबंधन आवश्यक है।

– पशु चारे की उन किस्मों को विकसित किया जाए जिनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक हो।

– द्वि–उद्देशीय फसलों का विकास एवं उपयोग (चारा व अन्न) किया जाए।

– पड़त भूमि में पशुधन हेतु बहुउपयोगी पौधों का रोपण किया जाए, जिनसे भोजन, चारा, जलाऊ एवं इमारती लकड़ी, हरी खाद प्राप्त हो सके।

3.8.11.3 निर्धन के वितरण एवं विपणन प्रणाली के अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रिया का सरल प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण करते हुए सूखे मांस, दूध के घरेलू प्रसंस्करण द्वारा दही, छैना, मक्खन एवं देशी घी जैसे उत्पादों की भंडारण की समयावधि बढाई जाए।

3.8.11.4 कम लागत वाली कृषि इकाईयों को जोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित कर अधिक लाभ लिया जाए, इसके अंतर्गत:–

– चारे की अच्छी किस्मों का विकास किया जाए।

– अधिक जैव पदार्थो के उत्पादन द्वारा ऊर्जा का चक्रीकरण किया जाए।

– उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये पोषक पदार्थों की क्षति को रोका जाए।

पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में, विशेषकर बडे शहरों से लगे क्षेत्रों में तीव्रता से बदलता हुआ परिवेश परिलक्षित होता है, जहां लघु पशुपालक बहुप्रजाति पशुपालन को त्यागकर अधिक मांग वाली एक ही पशुप्रजाति का पालन कर रहें हैं। संपूर्ण प्रक्रिया मांग आधारित व पूर्णतया व्यवसायिक दृष्टिकोण से अभिप्रेरित है।

3.9 सूचना तंत्र, कौशल उन्नयन, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा पशुधारकों एवं स्थानीय निकायों का क्षमता वर्धन करके चारा एवं अन्य पोषक तत्वों के संसाधनों को बढ़ाया जाए।

3.9.1 उपलब्ध शासकीय भूमि को लीज. अधिकार पर भूमिहीन कृषको/पशुपालक समितियों एवं समूहों को पशुपालन गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराना।

3.9.2 बहुउपयोगी खेती को प्रेरित किया जाये तथा दो फसलों के बीच में भी लघु अवधि फसल ली जाए। धान की मेढ़ों पर चारा उत्पादन किया जाए तथा बहुउपयोगी व चारा प्रदान करने वाले वृक्ष लगाये जावें।

3.9.3 यूरिया–उपचार जैसी वैज्ञानिक तकनीक एवं कुट्टी–यंत्र के उपयोग द्वारा बहुतायत में उपलब्ध धान के चारे को उपचारित कर उपयोग किया जाए।

3.9.4 पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वशासी संस्थाओं तथा उपयोगकर्त्ता दलों के सहयोग से भूमि अतिक्रमण को रोका जाए तथा चारागाहों का विकास किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी एवं वैधानिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

3.9.5 **"सामुदायिक चारा बैंक"** को प्रोत्साहित करके ग्रीष्मकाल में चारा उपलब्ध करवाया जाए।

3.9.6 वनों से चारा कटाई के लिए ग्रामीणों की पहुंच सुनिश्चित की जाए एवं वन क्षेत्र में चराई पर रोक के मार्गदर्शन स्पष्ट किए जाऐं।

3.9.7 निजी एवं सहकारी क्षेत्रों को संतुलित एवं मिश्रित पशु व कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

3.9.8 अच्छी किस्म की संकर मक्का, सोयाबीन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में सहयोग द्वारा वृद्धि का प्रयास किया जाए ताकि इनके उपयोग द्वारा निर्मित मिश्रित पशु आहार सामग्री बाज़ार में विक्रय के लिए उपलब्ध हो।

3.9.9 पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन बढ़ाने के लिये सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया जाए।

3.10 पशुधन उत्पादकों में नवीन विकास के ज्ञान व शोध तक पहुंच को बेहतर करने हेतु पशुधन पर गहन शोध करनी होगी और उसका विस्तार प्रणाली के साथ समन्वय करना होगा।

निरंतर नई तकनीको का अविष्कार एवं हर स्तर पर उनका प्रचार प्रसार पशुधन उत्पादकता के विकास एवं स्थायित्व के लिए महत्तवपूर्ण है। राज्य में वृक्ष एवं पशुधन में जैव विविधता के कारण पशुधन विकास में उसके शोध द्वारा उपयोग के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

3.10.1 वर्तमान में पशु विज्ञान में शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए एवं इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक जर्म प्लास्म को सूचीबद्ध किया जाए।

3.10.2 पशुओं की जातियां, क्षेत्र एवं कार्यकमों के अनुरूप शोध कार्यों की प्राथमिकतायें तय करनी चाहिऐं ताकि इन कार्यकमों की शोध दक्षता में वृद्धि हो।

3.10.3 आवश्यकता आधारित शोध कार्य किये जाने चाहिए जिसमें पशु उत्पादक (उत्पादकता वृद्धि एवं मूल्य प्रभाव), उपभोक्ता (अभिरूचि एवं प्राथमिकता) एवं उद्योग की आवश्यकताओं (भंडारण की समयावधि एवं प्रसंस्करण लक्षण) को ध्यान में रखा जाए।

3.10.4 संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में स्वदेशी एवं आधुनिक तकनीक को मिलाकर पशुधन उत्पादन को बढ़ाया जाए।

3.10.5 अल्प लागत वाले लघु पशुधन उत्पादकों के लिये आधुनिक एवं उत्तम पशुपालन पद्धति को उनकी आवश्यकता अनुरूप विकसित एवं प्रसारित किया जाए।

3.10.6 स्थानीय तौर पर प्राप्य समस्त पशु खाद्य–संसाधनों को सूचीबद्ध कर कम लागत वाले पशु आहार की संरचना की जाए।

3.10.7 कुक्कुट, शूकर, भेड, बकरी की विषाणुजनित बीमारियों हेतु स्थिरतापी रोग प्रतिरोधक टीके विकसित किए जाए जिनका उपयोग मुंह अथवा नाक द्वारा किया जा सके। इससे टीकों को कोल्ड चेन (बर्फ के तापमान पर सुरक्षित रखना) में रखने की दुरूह प्रकिया से बचा जा सकेगा साथ ही दुर्गम व भीतरी क्षेत्रों में स्थित ग्रामों में भी टीकाकरण संभव हो सकेगा।

3.10.8 कम मूल्य वाली कृमि–नाशक एवं बहु रोग (पॉलीवेलेन्ट) टीकों का विकास होना चाहिये।

3.10.9 राज्य में एवं अंर्तराज्यीय स्तर पर विभिन्न शोध संस्थानों का आपसी समन्वय स्थापित होना चाहिये एवं कई बहुआयामी शोध कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिये।

3.10.10 कियान्वयन योग्य नई तकनीको को सार्वजनिक विस्तार प्रणाली एवं स्वयं सेवी संस्थाओं और जन संचार के माध्यम से उपयोगकर्त्ता तक पहुंचाकर प्रचार प्रसार प्रकिया को सुदृढ किया जाए।

3.10.11 आधुनिक प्रौद्योगिकी पैकेज और पशुपालन की उचित पद्धतियों के प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर पर पशु विज्ञान केंद्र (कृषि विज्ञान केंद्र के समानांतर) स्थापित किये जायें एवं इन्हें आत्मा (ए.टी.एम.ए.) जैसे अन्य कार्यकमों से जोडा जाए।

3.10.12 पशुधन विस्तार सेवाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु सहायक कर्मचारियों को पशुधन उपयोगकर्त्ता समूहों से सीधे समन्वित किया जाए।

3.10.13 विभिन्न कृषि परिस्थितिकीय में उत्पादन की परिस्थितियों एवं कृषि प्रणाली की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, पणधारियों की आवश्यकतानुसार तकनीकों का प्रचार प्रसार उपर से नीचे न होकर नीचे से उपर की ओर किया जाए।

3.10.14 प्रचार प्रसार के नवीन आदर्श के रूप में दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था एवं "कृषक कार्यक्षेत्र पाठशालाऐं" विकसित की जाऐं। जिनमें समस्त पणधारी, जैसे कि–शोध संस्थान, विस्तार विभाग, स्वयं सेवी संस्थाऐं, आवश्यकता पूर्ति व्यापारी, सेवा प्रदत्त करने वाले और पशुधन उत्पादक, शामिल हों।

3.11 पशुधन उत्पादन के विकास की क्षमता में वृद्धि करने हेतु पशुपालन क्षेत्र की संगठनात्मक एवं संस्थागत इकाई को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने तथा पशुपालन क्षेत्र के विकास में गति लाने के लिए नवीन संस्थागत प्रतिरूपों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

कालांतर में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बड़े पशुओं का अनुवांशिकी सुधार हुआ है जिससे आजीविका एवं व्यवसायिक उत्पादन में पशुपालन अधिक प्रचलित हुआ है, विभाग द्वारा इस परिवर्तित स्थिति अनुसार सेवा निष्पादन में वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया गया है। परंतु विभिन्न अध्ययनों में कृषकों के लिए घर पहुंच सेवा के प्रभावी होने में गतिहीनता एक अहम अवरोधक पाई गई है।

3.11.1 पशु पालन विभाग के कर्मचारियों को बेहतर प्रबंधन एवं कियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, जिसमें दस्तावेजीकरण, योजना, निरीक्षण, मूल्यांकन, आदि विषय अनिवार्य रूप से होने चाहियें।

3.11.2 कर्मचारियों में तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त प्रकिया एवं संगठन कौशल द्वारा सेवाओं को प्रभावी किया जाए। एक प्रभावी निष्पादन तंत्र के लिए सहभागी प्रकियाओं का ज्ञान, उपलब्ध समुदाय आधारित संस्थान, अन्य क्षेत्रीय योजनाएं एवं कार्यकम, सामुदायिक संगठन कौशल इत्यादि आवश्यक हैं।

3.11.3 राज्य में पशुधन की स्थिति में सुधार के लिए सहयोग के नये अवसरों के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण हो। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर (कर्मचारी कार्यकुशलता एवं कृषक विकास) भारत सरकार, निजी क्षेत्रों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं समानान्तर संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित होना चाहिये।

3.11.4 पशुधन विकास में मुख्य संपर्क–कर्त्ता के रूप में कार्यशील होकर व्यवसायिक एवं निजी क्षेत्र के विकास को नियंत्रित करें। चारा–बीज बाजार, मांस एवं अंडा बाजार, खली, पशुखाद्य उत्पादक और औषधीय व्यवसाय के साथ नियमित संपर्क स्थापित करें।

संस्थागत स्तर पर:

राज्य में पशुधन मुख्य रूप से लघुधारी किसानों के हाथों में है। तथापि कुछ वर्षों से नवीन उद्यमियों (संगठित कृषक) ने इस क्षेत्र में कदम रखा है, जो पशुपालन क्षेत्र के उच्च्य तकनीकी सिद्धांतों को अपनाते हैं। अतः उन्हें नई तकनीकों तक बेहतर पहुंच और सेवाओं में गुणवत्ता की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से एक स्वरूप दिया गया है जहां इन दोनों पहुलओं को सहयोग दिया जा सके ताकि गरीब किसानों की आजीविका सुरक्षित एवं विकसित हो तथा राज्य का आर्थिक विकास हो।

3.11.5 अन्य महत्तवपूर्ण विभाग जैसे पंचायती राज, आदिवासी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं कृषि विभाग तक पशुपालन नीति के उद्देश्यों को पहुंचाने हेतु सहयोगी प्रशासनिक ढांचा स्थापित करते हुए कियाशील संबंधों की स्थापना की जाए। विशेषतः इन मुद्दों पर समन्वय किया जाए।

– **कृषिः** चारा बीज का उत्पादन, गुणन और वितरण। द्विउद्देशीय फसलों पर शोध एवं कियान्वयन।

– **वन विभागः** संयुक्त वन प्रबंधन कार्यकम में पशुपालन का एकीकरण।

– **ग्रामीण विकास विभागः** गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में लघु कृषि प्रणाली में पशुधन के समावेश द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाबद्ध एवं हितग्राही मूलक कार्यकम आरंभ किए जाऐं। पशुपालन विभाग के तकनीकी सहयोग द्वारा विशिष्ट योजनाएं एवं इनपुट पैकेज (Input Package) का विकास किया जाए।

– **आदिवासी कल्याण विभागः** आदिवासियों की जीविका में अहम भूमिका निभाने वाले पशुओं को ध्यान में रखते हुए पशुधन विकास योजना को आदिवासी कल्याण योजना के साथ सम्मिलित करते हुए विकसित किया जाए।

– **पंचायती राजः** जमीनी स्तर पर गोचर भूमि एवं कृषि वानिकी का विकास करते हुए छोटे–छोटे कार्य किए जाऐं।

– **जलग्रहणः** जलग्रहण कार्यकमों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि इसका लाभ सूखा प्रभावित पशुधन को प्राप्त हो सके। चारा उत्पादन, वाटरशेड मिशन का एक प्रमुख कार्य होना चाहिये। पशु पालन विभाग एवं वाटरशेड मिशन में प्रभावी समन्वय स्थापित होना चाहिये।

– **राज्य कृषि विश्वविद्यालयः** विस्तार सेवाऐं और शोध को बढावा देने हेतु उपलब्ध प्रोद्यौगिकी और ज्ञान संसाधन का लाभ उठाया जाए।

3.11.6 राज्य की लोक सेवा को विकेन्द्रित कर गैर–सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों की सहायता से सुदृढ़ किया जाए।

3.11.7 पशुधन विकास के लिए लघु कृषकों की आवश्यकताओं विशेषतः घरेलू कुक्कुट पालन करने वालों (भेड, बकरी सब सेक्टर) के लिए कियाशील संस्थागत रूपरेखा का विकास किया जाए।

3.11.8 दुग्ध क्षेत्र के मुख्य पणधारियों (जैसे–पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, रायपुर दुग्ध संघ, और गौसेवा आयोग) की संयुक्त नियोजन एवं समीक्षा समिति का गठन किया जाए ताकि दुग्ध क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु एक औपचारिक मंच मिल सके।

3.11.9 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण (सी.एस.एल.डी.ए.) के अतंर्गत पशु प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि कार्यकम संचालित हों। इसके लिये अभिकरण को व्यवसायिक योजना निर्माण में सुदृढ किया जाए ताकि हानि–लाभ के आधार पर कार्य किया जा सके।

3.11.10 दुग्ध विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाये जिसके लिये रायपुर दुग्ध संघ, सहकारी समितियां, अन्य दुग्ध उत्पादक संघों को एकत्रित किया जाए और उत्पादक स्वामित्व व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाए ।

3.11.11 पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा (दुर्ग) एवं डेयरी तकनीकी महाविद्यालय, रायपुर को तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये एक क्रियाशील इकाई के रूप में सम्बद्ध किया जाए। भेड, बकरी, शूकर इत्यादि के लिए बस्तर एकीकृत पशुधन विकास कार्यक्रम (बी. आई.एल.डी.पी.) को ज्ञान और तकनीकी सहयोग केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इन केंद्रों को अधिक स्वायत्ता दी जाए एवं राज्य में अन्य ऐसे केन्द्र विकसित किए जाएें।

3.11.12 पशु संसाधन विकास के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाए और पशुपालन विभाग के जिला प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम के साथ अभिसरण एवं सम्मिलित प्रयास द्वारा क्रियाशील समन्वय किया जाए।

3.11.13 प्रसव/प्रजनन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं को जिले में सम्मिलित करने हेतु पशुधन संसाधन विकास के लिए जिला स्तर समिति का गठन किया जाए ताकि विकास और उपयोगकर्त्ता शुल्क राशि का अनुश्रवण किया जा सके।

3.11.14 गौ–सेवा आयोग के अंतर्गत गौशालाओं की क्षमताओं का विकास किया जाए–

- गौवंश सुधार शोध और बेहतर पालन पद्धतियों के प्रचार हेतु केंद्र के रूप में क्रियान्वित हो
- निराश्रित पशुओं को आश्रय
- दुग्ध उत्पादन केंद्र के रूप में
- गौमूत्र आधारित कीटनाशक और जैविक खाद (प्राकृतिक खाद और केंचुआ खाद) के उत्पादन को बढावा देने हेतु।
- वैकल्पिक ऊर्जा के प्रारूप के रूप में गोबर गैस प्लांट को बढावा देने हेतु।

3.11.15 शासन को निम्नांकित बिन्दुओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिये:–

- वर्तमान में उपस्थित पदों में कमी न करते हुए पशुपालन विभाग को पुर्नगठित किया जाए।
- निश्चित समयावधि में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाऐं ताकि कर्मचारियों द्वारा सेवा निष्पादन में सुधार हो।
- पशुपालन विभाग की मूल क्षमताओं को विकसित करने हेतु विभाग को प्रगतिशीलता के साथ सशक्त करते हुए सेवाओं (कृत्रिम गर्भाधान एवं पशुचिकित्सा सेवाएं) के निष्पादन को विकेंद्रित करें।
- संस्थागत संरचना, प्रशिक्षण का विकेन्द्रीकरण और विस्तार सेवाएं विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर सुनिश्चित की जाऐं।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.), प्रतिवेदन प्रणाली, दस्तावेजीकरण और सार्वजनिक संपर्क प्रणाली आदि जैसी गतिविधियों को आधुनिकीकृत/कम्प्यूट्रीकृत किया जाए।

- कृषि अनुबंध प्रणाली को विकसित किया जाये तथा इसके लिए राज्य नीति निर्धारण करें।
- पशुधन क्षेत्र में उचित नीतिगत सहयोग के साथ निजी उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए।
- सार्वजनिक और निजी पशुपालन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- कार्यों के विकेन्द्रीकरण द्वारा प्रजनन सेवाओं के दीर्घ अवधि तक लाभ सुनिश्चित किए जाए।

पशुधन प्रजनन नीति

उद्देश्य :

1. स्थानीय नस्ल का अनुवांशिकी विकास सलेक्टिव ब्रिडिंग, अपग्रेडिंग एवं क्रास ब्रिडिंग के माध्यम से कर राज्य में दुधारू एवं भारवाहक पशुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. प्राकृतिक गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु पर्याप्त उन्नत नस्ल के सॉड़ एवं बछड़े की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेश में अंडा एवं मांस के पर्याप्त उत्पादन हेतु स्थानीय पशु पक्षियों (कुक्कुट, भेड़, बकरी, सूकर, खरगोश) का अनुवांशिकी विकास सुनिश्चित करना।
4. पशु प्रजनन अधोसंरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण जिससे आधुनिकतम प्रजनन तकनीकी का उपयोग करते हुए उच्चतम गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म का व्यापक प्रसार हो।
5. महत्वपूर्ण भारतीय नस्ल के पशुधन को संरक्षण तथा व्यापक रूप से इन नस्लों का पशु प्रजनक संघ एवं गौशालाओं में विस्तार।
6. निकृष्ट नर पशुओं का बधियाकरण कर प्रजनन हेतु उच्च अनुवांशिकी के नर पशुओं का कमबद्ध तरीके से प्रतिस्थापन।

पशु प्रजनन नीति :

राज्य में विद्यमान पशुधन जैसे गोवंश, भैसवंश, भेड़, बकरी, सूकर तथा कुक्कुट का विकास पशु प्रजनन नीति के माध्यम से प्रस्तावित है।

अपग्रेडिंग से राज्य के स्थानीय गोवंश का विकास साहीवाल, गीर, रेडसिन्धी, थारपारकर, कान्करेज, ओंगोल नस्ल से तथा भैस-वंश का विकास मुर्रा एवं सुरती नस्ल से किया जावे।

शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों मे जहाँ पर दूध का अच्छा मूल्य पशुपालकों को मिले एवं सिंचाई का पर्याप्त साधन हो वहाँ पर क्रास ब्रिडिंग से देशी पशुओं का अनुवांशिकी विकास किया जावे।

क्रास-ब्रिडिंग हेतु विदेशी नस्ल का अधिकतम अनुवांशिकी स्तर 50 – 62.5 % निर्धारित किया जाना परिस्थितिक जलवायु के आधार पर प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से क्रास-ब्रिडिंग हेतु जर्सी एवं होलिस्टिन नस्ल का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य मे विद्यमान निकृष्ट नर पशुओं का व्यापक रूप से बधियाकरण कर उन्नत नस्ल के नर पशुओं का कमबद्ध वितरण किया जाना प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र में बहुत ही कम उत्पादकता वाले नर पशुओं से होने वाले अवांछनीय प्रजनन को रोका जा सकें।

उच्च अनुवांशिकी धारित नस्ल के नर पशुओं का संरक्षण एवं व्यापक प्रसार पशुपालन विभाग की अनुमति से किया जाना प्रस्तावित है। प्राकृतिक गर्भाधान हेतु नर पशुओं का चयन जो कि एक न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड रखता हो पशुपालन विभाग की सहमति से किया जाना प्रस्तावित है।

नस्लवार एवं जिलावार प्रस्तावित प्रजनन नीति

क0	क्षेत्र	जिला	अनुमोदित प्रजनन नीति
1	ग्रामीण क्षेत्र में	सभी जिलों में	**अपग्रेडिंग** : 1– भारतीय दुधारू नस्ल – साहीवाल / गिर / रेडसिन्धी द्वारा 2– भारतीय द्विकाजी नस्ल – थारपारकर / ओंगोल / कॉकरेज / हरियाणा द्वारा
2	अर्ध शहरी क्षेत्र	सभी जिलों मे	**कास–ब्रिडिंग** : जर्सी 50 % / होलेस्टिन 50 % नस्ल द्वारा (हॉफ ब्रेड) **अपग्रेडिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल जैसे साहीवाल / गीर / रेडसिन्धी द्वारा
3	शहरी क्षेत्र में	सभी जिलों मे	**कास ब्रीडिंग** : जर्सी एवं होलेस्टिन नस्ल द्वारा तथा एफ 2 जनरेशन में किस कासिंग एवं रोटेशनल कासिंग **आऊट कासिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल में जैसे साहीवाल / गीर / रेडसिन्धी **अपग्रेडिंग** : भारतीय दूधारू नस्ल जैसे साहीवाल / गीर / रेडसिन्धी द्वारा

भैस वंश : सुनियोजित फार्म में प्रजनन हेतु मुर्रा नस्ल का चयन प्रस्तावित है। स्थानीय भैंसो का उन्नयन मुर्रा या सुरती नस्ल से किया जावे।

बकरी : जमुनापारी / बारबरी / ब्लैक बेंगाल / सिरोही नस्ल से स्थानीय बकरी का अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

भेड़ : स्थानीय भेड़ का अपग्रेडेशन रेम्ब्यूलेट से एवं पहाड़ी क्षेत्रों मे पसमीना नस्ल से।

सूकर : स्थानीय सूकर का अपग्रेडेशन मिडिल व्हाईट यार्कशायर / रशियन चरमुखा / कृष्णाशायर नस्ल से।

कुक्कुट :

1. असील नस्ल चूंकि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर की स्थानीय नस्ल है। अतः इन जिलों में इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार हो। इसके अलावा जापानीस क्वेल, टर्की, गिनी फाउल का भी प्रसार प्रस्तावित है।
2. शेष जिलों मे अण्डा उत्पादन हेतु व्हाइट लेग हार्न तथा द्विकाजी (अंडा एवं मांस उत्पादन) उपयोग हेतु व्हाइट लेग हार्न, आर0 आई0 आर0 एवं अष्ट्रालार्प के कास का उपयोग प्रस्तावित है।
3. बनराज, गिरिराज नस्ल एवं जापानीस क्वेल, टर्की, गिनी फाउल का भी व्यापक रूप से प्रसार प्रस्तावित है।

बतख : स्थानीय बत्तख का खाकी केम्पवेल नस्ल से अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

खरगोश : चिन्चीला/अंगोरा/ग्रे–जाईन्ट नस्ल से अपग्रेडेशन प्रस्तावित है।

प्रजनन योग्य सॉड़ का चयन :

पशुधन विकास योजना हेतु प्रोजनी टेस्टेड सॉड़ का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, परन्तु जब तक पर्याप्त संख्या में यह सॉड उपलब्ध न हो तब तक ऐसे सॉड़ उपयोग मे लाया जाय जिसकी अनुवांशिकी क्षमता अधिक हो ऐसे सॉड़ो का चयन उनकी मॉ के दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हो सके तो फुल सिब एवं हाफ सिब की उत्पादन क्षमता को भी सॉड़ चयन के समय ध्यान में रखे।

विभिन्न नस्ल के सांड़ जिनकी मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता निम्नानुसार हो का इस्तेमाल प्राकृतिक गर्भाधान एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाना चाहिए।

दुधारू नस्ल

कमांक	नस्ल	मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता (लिटर/ 305 दिन में)		
		प्राकृतिक गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	कृत्रिम गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	
			प्रथम ब्यात में	सर्वोत्तम उत्पादन
1	गिर	1400	2400	3000
2	साहीवाल	1600	2400	3000
3	रेड सिन्धी	1300	2000	2500
4	जर्सी	3500	3000	3750
5	होलस्टीन	3500	4500	5600
6	मुर्रा	1500	2400	3000
7	सुरती	1300	1600	2000

द्विकाजी नस्ल

कमांक	नस्ल	मॉ का न्यूनतम उत्पादन क्षमता (270 दिन में)		
		प्राकृतिक गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	कृत्रिम गर्भाधान हेतु (किग्रा. में)	
			प्रथम ब्यात में	सर्वोत्तम उत्पादन
1	कांकरेज	1300	2000	2500
2	ओंगोल	1000	1100	1600
3	थारपारकर	1300	2000	2500

सॉड़ का चयन करते वक्त यौन जनित रोगों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यौन रोगो से मुक्त सांड़ पशु प्रजनन कार्य हेतु उपयोग में लाया जावें। भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड (एम.एस.पी.) का पालन अनिवार्यतः किया जावें।

हिमीकृत वीर्य :

उच्च गुणवत्ता के हिमीकृत वीर्य का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन राज्य में हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश की प्रजनन नीति के अनुरूप हिमीकृत वीर्य संस्थान में हिमीकृत वीर्य का उत्पादन तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जावे। राज्य में पशु प्रजनन के कार्यों में जो भी एजेन्सी संलग्न है, उसके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे हिमीकृत वीर्य की प्राप्ति प्रदेश के फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन (FSBS) से सुनिश्चित करें। यदि हिमीकृत वीर्य का क्रय बाहर से करने की स्थिति निर्मित होती है तो यह आवश्यक हो कि क्रय की पूर्व अनुमति संचालक पशुपालन विभाग (DAH) से प्राप्त किया जावे। अनुमति के पूर्व संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय किया जाने वाला वीर्य यौन जनित रोग मुक्त एवं उच्च अनुवांशिक क्षमता के सांड़ों का है तथा प्रतिष्ठित संस्थान से उत्पादित है।

अंत: प्रजनन को रोकने एवं प्रोजनी टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु तीन पारिस्थितिक जलवायु क्षेत्रवार सांड़ों का तीन समूह बनाया जाय एवं चक्रानुक्रम आधार पर वीर्य का वितरण सुनिश्चित किया जावे।

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-38/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक सेवाओं में भर्ती) नियम से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ (भौमिकी तथा खनिकर्म, कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 है.

(ख) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिये ली गई प्रतियोगिता परीक्षा;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-04 दिनांक 26-12-84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी सेवा;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(त) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :**—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन :**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के लागू होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मौलिक रूप से धारण करने वाले व्यक्ति.

(ख) इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति.

(ग) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :**—सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची "एक" में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगी.

परन्तु शासन, सेवा में होने वाले पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका :**—

(1) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक हैसियत से धारण करते हो.

(2) उपनियम (1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के अनुसूची-दो में बताए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित, सेवा के किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन एवं आयोग के परामर्श से निश्चित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, शासन एवं आयोग के परामर्श से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़कर, जिनका उक्त उप-नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा निर्धारित किए जाए.

(5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति :**—इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भर्ती के तरीके द्वारा चयन के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता संबंधी शर्तें :—** परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) **आयु—**

(क) चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपने आयु के उतने वर्ष पूरे कर लिये हों जितने कि अनुसूची-तीन के कालम 4 में उल्लिखित है, किन्तु उतने वर्ष पूरे न किए हों जितने की अनुसूची-तीन के कालम 5 में उल्लिखित है.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी.

महिला अभ्यर्थी की आयु उच्चतम आयु सीमा सीधी भर्ती के समस्त कर्त्तव्य पदों पर आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगी, किन्तु विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा.

परंतु किसी अभ्यर्थी को किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा, 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट दी जावेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी/अस्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति, में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता है किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिये.

(तीन) जो अभ्यर्थी, छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

व्याख्या— शब्द "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो, रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(घ) जो अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक (सामरिक) हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो.

व्याख्या— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" (सामरिक) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व

मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष घोषित किया गया हो.

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सामरिक) जिन्हें मास्टरिंग आऊट कन्सेशन (समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतें) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सामरिक) जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
(क) नियोजन की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है.

(5) अवकाश रिक्तियां पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा-मुक्त किये गये अधिकारी.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

(च) आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत उच्चतर जाति के पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर एवं महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की आयु सीमा तक छूट दी जाएगी.

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. यह छूट की सीमा 8 वर्ष होगी अर्थात् ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/अनायुक्त अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टीप :— उपर्युक्त नियम 8 (एक) (ग) (1) तथा (2) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे दे तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावेगी. विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए.

(ञ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें :**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिये जो अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी है.

(3) **फीस :**— अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता :**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती समिति द्वारा उनके प्रवेश/चयन के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जावेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा :**— परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिसे आयोग ने प्रवेश पत्र न दिया हो.

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :**— सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल से आयोजित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करें.

(2) **चयन द्वारा :**—

(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतर से किया जावेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करें.

(2) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

(6) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(7) विकलांगों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :**—

(1) आयोग द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनायी गई सूची तथा अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जावेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची चयन समिति द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

(5) नियुक्ति आदेश प्रसारित करने के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराया जायेगा.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें इससे संलग्न अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा, नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का रखा जायेगा.

(2) समिति की बैठक, सामान्यतया, वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

(3) ऐसे पदों में जिनमें अनुसूची-दो के कालम 3 में एक से अधिक पद हो, उन पदों के 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 23 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रक्षित हो जायेंगे, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र होंगे. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में तृतीय श्रेणी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए माडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी.

(4) उप नियम (3) में दर्शाए अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रहेगी.

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :—**

(1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, इससे संलग्न अनुसूची-चार के कॉलम 2 में उल्लिखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया है, (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जो अनुसूची-चार के कालम 3 में अंकित है.

स्पष्टीकरण—पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड योग्यता सह वरिष्ठता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी.

(3) (क) पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर किये जाने हेतु कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा. केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(ख) उप-नियम (3) (क) का प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा.

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी.

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान पदोन्नति के संबंध में लागू होंगे.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में निर्धारित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे. सूची में उतने नाम सम्मिलित किए जायेंगे, जितने सूची बनाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान संभावित हों. इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सूची तैयार की जायेगी.

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित की जायेगी.

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि यथास्थिति सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाये, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण को लेखबद्ध करेगी.

16. **आयोग से परामर्श :—** आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श की अपेक्षा का पालन किया गया माना जाएगा तथा पृथक से आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा.

17. **चयन सूची :—**

(1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो उसे अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा, पश्चात् शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करें तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची-चार के कालम 4 में उल्लिखित पदों पर अनुसूची-चार के कालम 2 पर उल्लिखित पदों से पदोन्नत करने के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम 15 के उप नियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किए जाए, किन्तु इस सूची की वैधता इसके बनाने की तारीख से 18 महीने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग यह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जावेगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हो.

परन्तु जहां प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में न हो, या चयन सूची में जिसका अगला नाम न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त हेतु रिक्त स्थान संभवत: अधिक अवधि के लिए नहीं है.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो शासन, की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

19. **परिवीक्षा :—**सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शासन की शक्ति का सीमित या कम करती हो जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो.

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—**

(क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित किए गए पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक खनि अधिकारी	19	वर्ग तीन	5500-9000
2.	खनि निरीक्षक	39	वर्ग तीन	4500-7000

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

क्र.	विभाग का नाम/पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती	पदोन्नति	स्थानांतरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	वर्ग-तीन					
	खनिज साधन विभाग—					
1.	सहायक खनि अधिकारी	19	–	100 प्रतिशत	–	–
2.	खनि निरीक्षक	39	100 प्रतिशत	–	–	–

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें तथा शारीरिक मापदण्ड
(1)	(2)	(3).	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन विभाग	1.	खनि निरीक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	भू-विज्ञान विषय लेकर विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में उपाधि. पुरुष अभ्यर्थी के लिये ऊंचाई 165 से. मी. से कम नहीं, महिला अभ्यर्थी के लिये ऊंचाई 152 से. मी. से कम नहीं. सीने का न्यूनतम माप 81 से. मी. (सामान्य स्थिति में) 85 से. मी. (फुलाने पर).

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद या सेवा का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जायेगी	पात्रता की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम (देखिये नियम 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	खनिज साधन विभाग	1. खनि निरीक्षक	सहायक खनि अधिकारी	5 वर्ष	1. **अध्यक्ष**— लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित. 2. **सदस्य**— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग. 3. **सदस्य सचिव**— संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-38/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/12, दिनांक 13-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No. F 1-38/2007/12.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Class III (Executive services, recruitment) Rules, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**
   - (a) These rules may be called the Chhattisgarh (Class III Executive, Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008.
   - (b) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions :—**In these rules, unless the context otherwise, requires :—
   - (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Appointing Authority as mentioned in Schedule-IV.

(b) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rule II of these rules.

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh,

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh,

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules,

(f) "Scheduled Caste" means the Schedule Castes as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(g) "Scheduled Tribe" means the Schedule Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the constitution of India;

(h) "Other Backward Class" means other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(i) "Services" means the Chhattisgarh Geology and Mining Executive Class III Service;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh;

(k) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission.

3. **Scope and application :**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service :**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(a) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the schedule-I;

(b) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules, and

(c) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc. :**— The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or a temporary basis.

6. **Method of recruitment :—**

(1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be done by the following methods, namely :—

(a) By Competitive Examination/Selection by Direct recruitment, through Commission

(b) By promotion of members of the Geology and Mining Executive Class III

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity in such post in services as may be specified in Schedule-II.

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage mentioned in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the government and the commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the Exigencies of the Service so require, the Appointing Authority may after consulting the Government and the Commission adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in those sub-rule, as it may by order issued in the behalf, perscribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directives made in the Act by General Administration Department of Government time to time will also be applicable.

7. **Appointment to the Service :—** All appointment to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment :—** In order to be eligible for competing in the examination, shall have to satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age :—**

(a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule III, but not attained the age as specified in column (5) of Schedule III on the first day of January next following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxble upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Class.

The upper age limit for female candidates shall also be relaxed up to 10 year on all duty post of direct recruitment but an aditional relaxation of 5 years in general upper age limit shall be given to widow, destitute and divorced female candidate.

Provided that after giving the relaxation to any candidate on the basis are more than one basis as given above, maximum age limit, for entry in government service shall not be more than 45 years.

(c) The upper age limit shall be relaxed in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent or temporary/Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a temprorary post, including work charged employees, person-getting pay from contingency and person employed in Project Implementation Committee, applies for any other post should not be more than 38 years in age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :— The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less

than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman (Military) shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :— The term "ex-serviceman" (Military) denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-sevicemen (Military) released under mustering out concessions,

(2) Ex-servicemen (Military) enrolled for the second time and retired (a) on completion of short-term employment (b) after fulfilling the condition of recruitment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military & Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned office),

(5) Offices discharged after working for more than six months continuously against leave Vacancies,

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(7) Ex-servicemen who are medically discharged account of gunshot, wounds, etc.

(e) Relaxation of two years in maximum age limit shall be given to a Candidate holding green card and family welfare programme.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner couple under the intercaste incentive programme of the Trible, Scheduled Caste and Backward class welfare Department.

(g) Relaxation of five years in general maximum age limit shall be given to candidate awarded with Shaheed Rajiv Pande Prize, Gundadhur and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Honour.

(h) Relaxation up to 38 years age limit in maximum age limit shall be given to the employee of Chhattisgarh State Corporation/Board.

(i) Relaxation of the period equals to the services rendered by volunteer home guards and non-commissioned officers in home guard service shall be given in general maximum age limit, Limit of this relaxation will be 8 years; means the age of home guard/non-commissioned officer should not be more than 38 years including this relaxation.

N.B. — Candidates who are found eligible for selection under the age concessions

mentioned in Rule 8 (I) (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will however, continue to be eligible if they ate retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(j) In addition to above, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

(2) **Educational qualifications :—** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in schedule III.

(3) **Fee :—** Candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification :—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing Authority/recruitment committee to disqualify him for admission/ selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final :—** The decision of the Commission, as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be permitted to appear in the examination/interviewed by the commission.

11. (1) **Direct recruitment through competitive examination—** A Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as appointing authority may in consultation with the commission from time to time.

(2) **By selection :—**

(1) Selection for recruitment to the services shall be held at such intervals a the Appointing Authority, in consultation with the commission from time to time determine.

(2) There shall be reserved post for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargo ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(3) In filling the Vacancies so reserved, candidates belonging to the Scheduled Caste Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other backward class by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheudled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(5) For the post of direct recruitment 30% post shall be reserved for women candidates as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(6) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filed in by direct recruitment and it is found in the opinion of the competent authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available the competent

authority may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(7) There shall be reservation for disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Committee :—**

(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determined and of the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that, the candidates is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue by selection Committee.

(5) Prior to distribution of appointment order to concern candidate verification of character shall be made by appointing authority.

13. **Appointment by promotion :—**

(1) A committee shall be constituted to select the suitable candidate for promotion, which will include the members as specified in Schedule-IV. Committee shall have member of Schedule Caste or Schedule Tribe, if not; a memeber of Schedule Caste or Schedule Tribe shall be included.

(2) The committee, in general, shall meet at least once in a year.

(3) For these posts, in which more than one posts are available in column 3 of Schedule-II, 15% of the posts for Schedule Castes and 23% of the posts for Schedule Tribes shall be reserved, for the officers/staff who are eligible for promotion according to the provisions of rule 14. For Class III post to be filled through promotion in Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules 2003. The promotion shall be held according to model roster.

(4) As shown in sub rule (3), the procedure for the candidate belonging to Schedule Caste or Schedule Tribe shall be according to the directives issued by General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion :—**

(1) The committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, have completed the period of sevice shown in column 3 of Schedule-IV (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in column 2 of Schedule-IV or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government.

Explanation :— Manner of computation for eligibility for promotion-period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/ Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on merit-cum seniority (seniority subject to fitness).

(3) (a) In the cases where promotion to be held either on seniority-cum-fitness or on seniority leaving the unsuitable person, there shall be no zone of consideration. Only that number of Government servant shall be considered according to seniority, which in each cadre is sufficient to fill the posts available or expected to be vacant due to retirement during one year.

(b) In addition to the anticipated vacancies as prescribed in sub rule 3 (a) with a view of inclusion. In the select list, the names of two public servant or 25 percentage of the number of the public servant included in select list whichever in more the names of the required number of the public servant shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(4) Promotion shall be done according to Reservation Roster prescribed for promotion by Government.

(5) In the matter of promotion, the Provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 shall be applicable.

15. **Preparation of list of suitable Candidate :—**

(1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in, rule 14 above and as held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall include as many numbers as are expected to be vacant due to retirement or promotion within one year of the date of preparing the list. Apart from this a list shall also be prepared to fulfill the post unexpectedly vacant during the period.

(2) The list suitable employee shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion), Rule 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the Civil Service, the committee shall record its reasons for the proposed super session.

16. **Consultation with the commission :—** The recommendation of Departmental Promotion Committee prescribed presided over by the Chairman or a member of the commission shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and separate consultation with the commission shall not be necessary.

17. **Select List :—**

(1) the commission shall consider the list prepared by the committee along with the order documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government for the changes proposed and, after, taking into account the comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be justified and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall from the Select List for promotion of the members of service to the posts mentioned in column 4 of Schedule-IV from the posts as mentioned in column 2 of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of rule 15, but validity of the list shall not be extended beyond 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List :—**

(1) Appointments of the employees included in the Select list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officials appear in Select List.

Provided that, where administrative exigencies so required, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for appointment to service.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select List and the date of the proposal appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to service.

19. **Probation :—**Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation :—** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

21. **Relaxation :—** Nothing in these Rules shall be constructed to limit or abridge the power of the government deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rule.

22. **Repeal and saving :—**

(a) All rules corresponding to these rules other rules and enforce immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

SCHEDULE I
(See Rule 5)

Classification of service, Pay scale and Number of Post included in the Service

S. No. (1)	Name of the posts included in the service (2)	Number of post (3)	Class (4)	Scale of Pay (5)
1.	Assistant Mining Officer	19	Class III	5500-9000
2.	Mining Inspector	39	Class III	4500-7000

SCHEDULE II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Number of Post	Percentage of posts to be filled			Remark
			By direct recruitment	By promotion	By Deputation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Class III					
	Mineral Resources Department					
1.	Assistant Mining Officer	19	-	100%	-	
2.	Mining Inspector	39	100%	-	-	

SCHEDULE III
(See Rule 8)

Age and qualification of the persons of direct recruitment

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of Post (3)	Minimum age limit (4)	Upper age limit (5)	Educational qualifications and Physical criteria (6)
1.	Mineral Resources Department	Mining Inspector	21	35	Bachelor Degree in science with Geology subject or diploma in Mining Engineering. Height should not be less than 165 centimeter for male candidate and 152 centimeter for female candidate. Minimum measurement of Chest 81 centimeter in normal condition and 85 centimeter in expand condition.

SCHEDULE IV
(See Rule 14 and 15)

S. No.	Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mineral Resources Department	1. Mining Inspector	Assistant Mining Officer	5 years	1. **Chairman-** Chairman, Public Service Commission or his nominee. 2. **Member-** Secretary Government of Chhattisgarh, Mineral Resources Department. 3. **Member Secretary-** Diréctor, Geology and Mining.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर/दरभा
- (ग) नगर/ग्राम-मंगनार, पं. ह. नं. 76
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
301	0.05
302	0.13
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नेगानार से चितापुर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-जगदलपुर/दरभा
- (ग) नगर/ग्राम-लेण्डरा, प. ह. नं. 75
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
542/1	0.05
545/1	0.04
545/2	0.09
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नेगानार से चितापुर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-नगरौड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.25
योग	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढ़ेका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
179/6	0.03
214/1	0.09
214/2	0.52
214/3	0.51
214/4	0.18
215/1	0.67
221/2	0.07
221/3	0.09

(1)	(2)
225	0.20
228	2.21
229/2, 229/3	2.04
230	0.06
243	0.82
244/2	0.04
244/3	0.60
244/6	0.50
245/2, 245/3, 245/4	0.75
276	0.27
योग	10.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), महासमुन्द

महासमुन्द, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/409/मं. स. ग./2008.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के खण्ड (झ) के अनुसार सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासमुन्द, की ओर से महासमुन्द जिले के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक	सदस्य का नाम व बैंक प्रबंध समिति में पद	मंडी समिति का नाम
1.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, अध्यक्ष	कृषि उपज मण्डी, सरायपाली
2.	श्रीमती कमलाबाई, उपाध्यक्ष	कृषि उपज मण्डी, पिथौरा
3.	श्रीमती पूनी मोती, उपाध्यक्ष	कृषि उपज मण्डी, बसना
4.	श्री सनकादिक ध्रुव, संचालक	कृषि उपज मण्डी, बागबहरा

एस. के. जायसवाल,
कलेक्टर.